

कार्यालय वन वृत्त छतरपुर(म.प्र.)

हागर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001
Phone: 97682-242197 (O.), 242879 (R.), 242107 (Fax) E-mail: cfchtpur@mp.gov.in

-: आदेश :-

क्रमांक/मा.वि./2015/505

छतरपुर, दिनांक / 01-10-2015

वन मण्डल उत्तर पन्ना एवं वनमंडल छतरपुर अन्तर्गत अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/सं.राजविअ/अप्रमो./तक-49/1553-58 दिनांक 29.07.2015 से दौघन बांध सिंचाई परियोजना का आठ वर्षीय केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। वनमंडलवार प्रस्तावित क्षेत्रफल निम्नानुसार है-

क्र.	वनमंडल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्. में एवं खर्च की राशि करोड़ में				कुल राशि करोड़ में
		वनभूमि में	राशि	राजस्व भूमि में	राशि	
1	छतरपुर	9956	39.48	1590	3.96	43.44
2	पन्ना (उत्तर)	4435	52.15	8856	16.96	69.11
	कुल योग	14391	91.63	10446	20.92	112.55

म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/621/03/नियम/चार/भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रेषित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कुल लागत राशि रु. 112.55 करोड़ (एक सौ बारह करोड़, पचपन लाख रुपये मात्र) की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-1 अंतर्गत केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान में निर्धारित अवधि में विभिन्न कारणों से कार्य विलंब की स्थिति में पुनरीक्षित योजना व्यय राशि आवेदक संस्थान द्वारा देय होगा।

(लाल सिंह रावत)

मुख्य वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

पृष्ठा.क्रमांक/मा.वि./2015/1226

छतरपुर, दिनांक / 1-10-2015

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उत्तर पन्ना एवं छतरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार) भोपाल को उनके पत्र क्रमांक/सं.राजविअ/अप्रमो./तक-49/1553-58 दिनांक 29.07.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित। यह तकनीकी स्वीकृति इस शर्त के तहत जारी की जाती है कि केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान में निर्धारित अवधि में विभिन्न कारणों से कार्य विलंब की स्थिति में पुनरीक्षित योजना व्यय राशि आवेदक संस्थान द्वारा देय होगा।

मुख्य वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

आदेश द्वारा श्री कमलेश चतुर्वेदी (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर

आदेश क्रमांक/व्यय/ 152

सागर दिनांक 30/12/2015

अधिशाली अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा उनके पत्र क्र./राजावि/अ.प्र./भो/तक-49B/2293-95 दिनांक 14.12.2015 से दौधन बांध सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दमोह वन मंडल हेतु सात वर्षीय केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया है। वनमंडल अधिकारी दमोह ने उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1302 दिनांक 16.12.2015 से केचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की तकनीकी स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की है। प्रोजेक्ट के संबंध में दिनांक 22.12.2015 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध)म.प्र. भोपाल के कक्ष में चर्चा की गई। चर्चा में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिशाली अभियंता श्री अमर श्री नायक एवं राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के प्रतिनिधि श्री आर.जी.सोनी चर्चा में उपस्थित थे। चर्चा में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टता करते हुये पुनरीक्षित CAT Plan पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया। दिनांक 29.12.2015 को वृत कार्यालय सागर में उनके द्वारा CAT Plan प्रस्तुत किया गया। आवेदक संस्थान द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि CAT Plan में उल्लेखित उपचार के बाद सम्पूर्ण क्षेत्र में CAT Plan पूर्ण माना जायेगा। दमोह वनमंडल अंतर्गत CAT का प्रस्तावित क्षेत्रफल निम्नानुसार है:-

क्र.	वन मंडल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में एवं व्यय की राशि करोड़ में				कुल राशि करोड़ में
		वनभूमि	राशि	राजस्व भूमि	राशि	
1	दमोह	8390	91.41	5999	17.45	108.86
2	दमोह (पन्ना टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र)	1450	17.60	0	0	17.60
		9840	109.01	5999	17.45	126.46

अ.प्र.मु.व.संरक्षक(भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय) CAT की स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम है। अतः म.प्र.शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार/भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अधिशाली अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रेषित केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान कुल लागत राशि ₹126.46/- (₹ एक सौ छब्बीस करोड़ छियालीस लाख मात्र) की एतद् द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. आवेदक संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृति उपरांत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्थलवार प्रस्तुत की जावेगी।
 2. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.)में तत्समय प्रचलित दरें मान्य की जावेगी।
 3. प्रत्येक संरचना का प्राक्कलन स्थल अनुसार तैयार किया जावेगा।
 4. केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेज-1 अंतर्गत केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान में निर्धारित अवधि में विभिन्न कारणों से कार्य विलंब की स्थिति तथा क्षेत्र में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने पर पुनरीक्षित व्यय आवेदक संस्थान द्वारा देय होगा।
 5. केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट हेतु यदि अन्य कार्य आवश्यक होंगे तो उन्हें तत्समय समाहित किया जावेगा।
- उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक...13...के अनुक्रमांक...77 पर दर्ज की गई है।

(कमलेश चतुर्वेदी)

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत सागर

सागर दिनांक/ 30/12/2015

क्रमांक/व्यय/ 7011

प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक दमोह को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1302 दिनांक 16.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. अधिशाली अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) भोपाल को द्वारा उनके पत्र क्रमांक/राजावि/अ.प्र./भो/तक-49B/2293-95 दिनांक 14.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- अनुमोदित प्रोजेक्ट(अनुक्र.-2हेतु)।

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत सागर

आदेश द्वारा श्री कमलेश चतुर्वेदी (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक सागर वृत सागर

आदेश क्रमांक/व्यय/ 153

सागर दिनांक 30/12/2015

अधिशाली अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा उनके पत्र क्र./राजावि/अ.प्र./भो/तक-49B/2293-95 दिनांक 14.12.2015 से दौधन बांध सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दक्षिण सागर हेतु सात वर्षीय केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया है। वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर ने उनके पत्र क्रमांक/ मा.चि./1606 दिनांक 17.12.2015 से केचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की तकनीकी स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की है। प्रोजेक्ट के संबंध में दिनांक 22.12.2015 को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल के कक्ष में चर्चा की गई। चर्चा में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिशाली अभियंता श्री अमर श्री नायक एवं राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के प्रतिनिधि श्री आर.जी.सोनी चर्चा में उपस्थित थे। चर्चा में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टता करते हुये पुनरीक्षित CAT Plan पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्णय लिया गया। दिनांक 29.12.2015 को वृत कार्यालय सागर में उनके द्वारा CAT Plan प्रस्तुत किया गया। आवेदक संस्थान द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया है कि CAT Plan में उल्लेखित उपचार के बाद सम्पूर्ण क्षेत्र में CAT Plan पूर्ण माना जायेगा। वनमंडल दक्षिण सागर अंतर्गत CAT का प्रस्तावित क्षेत्रफल निम्नानुसार है:-

क्र.	वन मंडल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में एवं व्यय की राशि करोड़ में				कुल राशि करोड़ में
		वनभूमि	राशि	राजस्व भूमि	राशि	
1	दक्षिण सागर	2171	17.04	6154	16.54	33.58

अ.प्र.मु.व.संरक्षक(भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय) CAT की स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम है। अतः म.प्र.शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार/भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अधिशाली अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रेषित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कुल लागत राशि ₹33.58/- (₹ तैतीस करोड़ अन्धवन लाख मात्र) की एतद् द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. आवेदक संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृति उपरांत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्थलवार प्रस्तुत की जावेगी।
2. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.)में तत्समय प्रचलित दरें मान्य की जावेगी।
3. प्रत्येक संरचना का प्राक्कलन स्थल अनुसार तैयार किया जावेगा।
4. केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेंज-1 अंतर्गत केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान में निर्धारित अवधि में विभिन्न कारणों से कार्य विलंब की स्थिति तथा क्षेत्र में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने पर पुनरीक्षित व्यय आवेदक संस्थान द्वारा देय होगा।
5. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट हेतु यदि अन्य कार्य आवश्यक होंगे तो उन्हें तत्समय समाहित किया जावेगा।

उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक 13 के अनुक्रमांक 78 पर दर्ज की गई है।

(कमलेश चतुर्वेदी)

मुख्य वन संरक्षक

सागर वृत सागर

सागर दिनांक/ 30/12/2015

क्रमांक/व्यय/ 7012

प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1606 दिनांक 17.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. अधिशाली अभियंता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, मंत्रालय भारत सरकार) भोपाल को द्वारा उनके पत्र क्रमांक/राजावि/अ.प्र./भो/तक-49B/2293-95 दिनांक 14.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- अनुमोदित प्रोजेक्ट (अनुक्र.-2 हेतु)।

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर